Dr. P.S. Gupta, Senior Consultant, Department of Medicine, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi

Member.

3. Dr. A.D. Schgal, Sr. Consultant, Department of Neurosurgery, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi.

Member.

 Dr. (Smt) Balwant Kaur Maini, 430, Kailash Tower II, East of Kailash, New Delhi—110 065. Member.

5. Shri Indu Vira 54, Anand Lok, New Delhi.

Member.

- 3. Batra Hospital and Medical Research Centre, New Delhi
 - Dr. (Smt) Shanta Nagarajan, Medical Director, Batra Hospital and Chairperson. Medical Research Centre, Tughlakabad Institutional Area, Mehrauli—Badarpur Road, New Delhi—110 062.
 - Dr. R.K. Maini, Head of the Department of Medicine, Batra Hospital and Medical Research Centre, Tughlakabad Institutional Area, Mehrauli—Badarpur Road. New Delhi—110 062

Member.

 Dr. Rajesh Garg, Chief Nephrologist, Batra Hospital and Medical Research Centre, Tughlakabad Institutional Areas, Mehruali—Badarpur Road, New Delbi—110 062. Member.

Mrs. Trishala Jain,
J-2, Green Park, New Delhi—110 016

Member.

Shri Shahank Raizada,
122, Sunder Nagar, New Delhi—3

Member

Terms and conditions

- (1) The authorisation Committee shall be attached only to the hospital indicated against it.
- (2) The Chairman shall not be engaged as a Specialist in the removal and transplantation of human organs.
- (3) At least two members including one non-official member shall from the quorum.

Irregularities in Lodhi Road Ayurvedic Dispensary

- 381. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that most of the medicines in the Lodhi Road Ayurvedic dispensry are not available and CGHS beneficiaries are required to visit the dispensary time and again and the attitude of the dispensary staff towards the beneficiaries is also not proper;
- (b) if so, what steps have been taken to improve the situation there;
- (c) whether it takes 10 days or more for the beneficaries to get the indented medicines from the dispensary; and
- (d) if not what is the procedure of indenting or medicines in the dispensary and within what period these medicines are made available to the beneficiaries?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY) (a) and (b) No, Sir. Gener-

ally the listed medicines are available in the Avurvedic dispensaries/units. However, if any medicine is not available in the dispensary the same is made available through the local chemist by the Incharge of the dispensaries/Units. The need for courtsey has been empleasized to the dispensary staff.

(c) and (d) The dispensaries/hospitals/ units submit regular monthly indent of medicines as per requirement to the Midical Store Depot which supplies the medicine within four-five days. For this purpose a scheduled programme for submission of regular indents is circulated to all the dispensaries/hospitals/units well in advance.

लघु उद्योगों को दी गयी रियायतों का प्रभाव 382. श्री रामजी लाल: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति का पालन करते हुए लघ उद्योगों को दी गई रियायतों से उन्हें वर्ष 1991 से हए फायदे/नकसान का ब्यौरा क्या है: और
- (ख) यदि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम्): (क) सरकार की उदार नीति के तहत 1991 से लघु उद्योगों को छूट आदि के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गये हैं:--

- (1) लघु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी मानदण्ड को समाप्त किया गया है।
- (2) भूमि तथा भवन को छोडकर, 5 लाख रुपये तक की स्थायी परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश वाले लघ् उद्योग सेवा व व्यावसायिक उद्यमें से संबंधित उद्योगों को लघु उद्योग के बराबर का दर्जा दिया गया है।
- (3) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिबंधित सूची को समाप्त किया गया है।
- (4) लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए जल तथा वाय-प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत अनुमति

लेने की कार्यपद्धति को सरल बनाया गया है अब लध् औद्योगिक इकाइयों को केवल एक रसीद (एक्रोलेमेंट) प्राप्त करनी होती है जिसे स्वीकृति के रूप में माना जाता है. लेकिन इसमें 17 अत्यधिक प्रदेषणकारी क्षेत्र शामिल नहीं है।

- 5. लघु औद्योगिक इकाइयों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24% तक इविवटी भागीदारी करने की अनुमति दी गई है।
- 6. लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को निलंबित भूगतानों पर ब्याज से संबंधित एक अधिनियम की घोषणा अप्रैल, 1993 में की गई ।
- 7. लघु औद्योगिक इकाइयों के अनंतिम तथा स्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपन्नों को सरल बनाया गया और अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
- 7. लघ औद्योगिक इकाइयों के हित में कई उत्पाद-शुल्क कार्य पद्धतियों को सरल बनाया गया है। लघु उद्योग उत्पादन शुल्क छट योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब उद्योग निदेशालय में पंजीकरण कराने की कोई आवश्कता नहीं। लघ औद्योगिक इकाइयों के निजी रिकार्ड उत्पादन शल्क प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे और लघु औद्योगिक इकाइयों को और कोई अतिरिक्त रिकार्ड नहीं रखना है। लघ औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क कार्यालय में कोई मासिक विवरणी नहीं भेजनी है। केवल तिमाही विवरणी ही पर्याप्त है। यदि वस्तओं की बिक्री 30 लाख रुपये के अंदर हो तो केन्द्रीय आबकारी विभाग में कोई घोषणापत्र दायर नहीं करना है। छुटों से कोई हानि होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।
 - (ख) सरकार द्वारा इस बारे में कोई सर्वोक्षण नहीं किया गया है।

Repeated incidents of food Poisoning 383. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMI-LY WELFARE be pleased to state: